

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Revision Petition No. 2349/2025

Child Conflict With Law U Son Of Anil Kumar Bairwa, Aged About 17 Years, Resident Of Bairwa Ki Dhani, Kanwarpura, Rampura Unti, Police Station Bagru, Jaipur Through Natural Guardian Father Anil Kumar. (At Present In Observation Home, Jaipur).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Poonam Chand Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Jai Prakash Tiwari, P.P. Mr. Gaurav Gupta, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

09/02/2026

अधीनस्थ विचारण न्यायालय, प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, कम-1, जयपुर महानगर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-450/2025 पुलिस थाना, बगरू, जयपुर शहर, पश्चिम में पारित आदेश दिनांक 21.11.2025, जिसके तहत याची-किशोर का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 12 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम खारिज किया गया एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, संख्या-03, जयपुर महानगर-द्वितीय द्वारा दाण्डिक अपील संख्या-02/2025 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2025 जिसके तहत याची-किशोर की ओर से प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 101 किशोर न्याय अधिनियम खारिज की गई, से व्यथित होकर याची-किशोर की ओर से जरिये संरक्षक यह फौजदारी पुनरीक्षण याचिका (जमानत) प्रस्तुत की गई है।

बहस सुनी गई।

योग्य अधिवक्ता याची का कथन रहा कि याची अवयस्क किशोर है, वह निर्दोष है, उसे इस प्रकरण में घरेलू झगड़े के कारण मिथ्या लिप्त किया गया है, वह दिनांक 10.11.2025 से राजकीय संप्रेषण गृह में है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र पेश हो चुका है। वह बारहवीं कक्षा में अध्ययनरत है तथा दिनांक 12.02.2026 को परीक्षा हैं। पत्रावली पर ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे याची का किसी आपराधिक आचरण रखने वाले व्यक्ति के साथ सम्पर्क रहना प्रकट होता हो तथा याची के चरित्र एवं आचरण के क्रम में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं है। उनका यह भी निवेदन है कि किशोर के मामले में अपराध की गंभीरता को नहीं देखना है बल्कि किशोर का हित देखा जाना है। अतः रिवीजन याचिका स्वीकार की जाकर याची किशोर को जमानत का लाभ दिया जावे।

योग्य लोक अभियोजक द्वारा रिवीजन याचिका का विरोध किया गया।

परिवादी पक्ष बावजूद तामील उपस्थित नहीं है।

हमने दोनों पक्षों द्वारा रखे गए तर्कों व वितर्कों तथा प्रकरण के समस्त तथ्यों पर विचार किया व पत्रावली का अवलोकन किया।

याची सुकुमार अवस्था का किशोर है तथा किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कोई विपरीत तथ्यात्मक स्थिति प्रकट नहीं हुई है, ऐसा भी दर्शित नहीं होता है कि यदि याची को सुपुदगी पर दिया जाता है तो वह ज्ञात अपराधियों के सहचर्य में आ सकता है तथा उसको नैतिक, शारीरिक व मनोवैज्ञानिक खतरा है। ऐसा भी कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है कि उसे जमानत पर मुक्त किए जाने पर वह पुनः आपराधिक प्रवृत्ति में संलिप्त होगा। परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट में भी यह अंकित है कि याची का परिवार में रहना उचित होगा। परिणामस्वरूप यह जमानत पुनरीक्षण याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

परिणामतः याची "यू" पुत्र अनिल कुमार बैरवा की ओर से जरिये संरक्षक प्रस्तुत यह फौजदारी पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है और

अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश दिनांक **21.11.2025** तथा **05.12.2025** अपास्त किए जाते हैं एवं आदेश दिया जाता है कि यदि याची की ओर से उसका **संरक्षक** अधीनस्थ विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, **पचास हजार रुपये का बन्ध-पत्र एवं पचीस-पचीस हजार रुपये** की दो प्रतिभूतियाँ इन शर्तों के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे कि जमानत के दौरान वह याची-किशोर को अपनी संरक्षकता में सुरक्षित रखेगा, किसी आपराधिक तत्व के सम्पर्क में नहीं आने देगा एवं न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर याची-किशोर को न्यायालय में उपस्थित कर देगा तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J